

कार्यालय – नजारत अनुभाग, वाहय दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी-खीरी।

इशितहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहता वाहय दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर-खीरी के प्रांगण में रिथत कैटीन(एक कमरा) वाहन मोटरसाइकिल व साइकिल स्टैण्ड, फोटो स्टेट(एक दुकान शटरदार), स्टेशनरी/फोटोग्राफी (एक दुकान शटरदार) के प्रत्येक एक दुकान के ठेके हेतु वर्ष 2022-23 के लिए दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए अलग-अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 31.03.2022 को वाहय दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर-खीरी के प्रांगण में अपराह्न 4.30 बजे से की जायेगी।

अतएव जिस किसी को उक्त ठेकों की नीलामी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1— स्थायी आवास प्रमाण पत्र

2— फोटो आइ.डी.

3— दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र

4— कैटीन, वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट व स्टेशनरी, फोटोग्राफर के प्रत्येक एक दुकान आदि की बोली बोलने वाले को बताए काशनमनी रुपया 10,000/- बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेप्पर द्वारा नकद जमा करानी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशनमनी के रुप में स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी में पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 30.03.2022 तक उप नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दाखिल करना होगा।

5— 5 जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए समाप्त की जायेगी, उसे अपनी बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बोली का 1/4 भाग नकद तुरन्त उपनाजिर के पास जमा कराना होगा।

6— जो ठेके मु 10,000/-रुपये तक की बोली में समाप्त होंगे, उन ठेकों की पूरी रकम ठेके की नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उप-नाजिर के पास जमा करानी होगी।

7— जो ठेके मु 10,000/-रु 0 से अधिक में दिये जायेंगे, उन ठेकेदारों को अपनी बोली का 1/4 भाग तुरन्त तथा 1/4 भाग जून, 2022 तक व 1/4 भाग सितम्बर, 2022 तक एवं शेष 1/4 भाग दिसम्बर, 2022 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

8— किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अंतिम नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाये। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके को अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करें तथा कम बोली अपनी बोली इच्छा विवेक से स्वीकार कर लेवें।

9— ठेकेदारों द्वारा जो काशनमनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस किया जायेगा तथा उसे समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार द्वारा 7 की शर्तों के अनुसार धनराशि समय से नहीं जमा करता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशनमनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर दें।

10— जिन खाद्य पदार्थों की विकी के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से या सम्बन्धित विभाग से उन पदार्थों की विकी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11— प्रत्येक ठेकेदार अपनी ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके का किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं करेगा और न ही किसी को शिकमी किरायेदारी पर देगा, यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवे।

12— सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारी को अपनी दुकान पर विकी हेतु सामानों की सूची तथा मूल का विवरण टांगना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरूप होगा। खाद्य पदार्थों के पदार्थों के मूल्यों का निर्धारण प्रभारी अधिकरी अन्दर द्वारा किया जायेगा। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

13— सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं कीमत की आकस्मिक जॉच समय-समय पर प्रभारी अधिकारी अन्य अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की जा सकती है तथा उनके द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहेगा।

14— किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण के कोई स्थायी/अस्थायी निर्माण का अधिकार नहीं होगा तथा उन्हें दिनांक 31.03.2023 की सांय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान आदि अन्य सामान हटा लेना होगा।

15— साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं उसे टिन के दो टोकन जारी करें, जिसमें एक टॉकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा तथा दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। तभी सम्बन्धित कोई भी वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को स्टैण्ड के चारों ओर कांटेदार तार या बांस का बड़ा बाड़ा बनवाकर रखना होगा। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े व कांटेदार तार का बड़ा बनाकर सम्बन्धित वाहन उस बाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। सभी दैनिक मासिक स्टाफ हेतु तथा बाहरी व्यक्ति हेतु जो दरें हैं, साफ-साफ शब्दों में स्टैण्ड के बाहर लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

16— जिन ठेकेदारों का टेप्पर स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों का स्वीकृति के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2022-23 दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के लिए दिये गये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाप्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार तहरीरी करना होगा। और इस ठेकानामा तहरीर करने का खर्च सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं बहन करना होगा।

17— ठेकेदार के दैवीय आपदा हड्डताल आदि में दुकान बन्द होने पर उसको किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकती।

दिनांक 22.03.2022

(अनुष्ठानकारी संह)

सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(सी0डी),
मोहम्मदी-खीरी।

(लग्जरी वीवर्कल) 103/12

सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(सी0डी),
मोहम्मदी-खीरी।

(सुरेन्द्रपाल सिंह)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मोहम्मदी-खीरी।